



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



दिनांक: 31 May, 2022

PGCIL/R/E/22/00178 & 00179

Shri Jitendra Mohan Bharti,

सी-17, चमेरा पावर स्टेशन, एन एच पी सी लिमिटेड, करिया, चम्बा-176318, Pin:176310

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी ।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 13 May, 2022 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध पत्रों का संदर्भ लें ।


उपरोक्त पत्रों में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है ।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी.अनंत शर्मा

कार्यपालक निदेशक (सी. एस.) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: appellate.cc@powergrid.co.in
फोन नंबर: 0124-2571994

धन्यवाद,

भवदीय,

(ए. जगन्नाथ राव)
वरिष्ठ महाप्रबंधक (कें.आयोजना) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: श्री जितेंद्र मोहन भारती, चंबा, हिमाचल प्रदेश के आ.टी.आई. आवेदन
संख्या PGCIL/R/E/22/00178 एवं 00179 का जवाब

क्र.सं.	मांगी गई सूचना:	जवाब:
1.	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आई.आई.टी. मद्रास को सी.एस.आर. किस किस जाती के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है।	सी.एस. आर. के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा आईआईटी, मद्रास में प्रारंभ छात्रवृत्ति कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों (जिसमें सामान्य व ओबीसी श्रेणी के छात्र शामिल हैं) के शिक्षण शुल्क के भुगतान के लिये है।
2.	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आई.आई.टी. मद्रास को एस.सी. एस.टी. विद्यार्थियों के लिए कितना सी.एस.आर. फंड दिया गया है।	उल्लेखनीय है कि आईआईटी, मद्रास द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी के छात्रों द्वारा शून्य ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाता है।

हरि रतना